डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 जून 2001—ज्येष्ठ 23, शक 1923

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-3/सह./15/2436.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
   (दो) यह नवंबर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए, उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (जिसमें नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगा

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (1961 का सं. 17).
2.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962.
3.	मध्यप्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999.
4.	मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम,1999.
5.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुनर्गठन और निर्माण) अध्यादेश, 2000.
6.	मध्यप्रदेश सहकारी सेवा भर्ती नियम, 1965.
7.	मध्यप्रदेश अधीनस्थ सहकारी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1967.
8.	मध्यप्रदेश अधीनस्थ सहकारी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 1966.
9.	मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 1967.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एच. बेहार, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2001

क्रमांक एफ-7-3/सह./15/2437.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एच. बेहार, अपर सचिव.

Raipur, the 13th June 2001

NOTIFICATION

No. F-7-3/COOP./15/2436.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

1. (i) This order may be called the adaptation of Laws order, 2001.
   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until replaced or amended. Subject to the modifications that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Co-operative Societies Act.1960 (No. 17 of 1961).
2.	The Madhya Pradesh Co-operative Societies Rules .1962.
3.	Madhya Pradesh Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Adhiniyam. 1999.
4.	Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam. 1999.
5.	The Madhya Pradesh Sahakari Society (Punargathan aur Nirman) Adhyadesh. 2000.
6.	Madhya Pradesh Sahakari Sewa Bharti Niyam. 1965.
7.	Madhya Pradesh Adhinastha Sahakari (alipikiya vargiy) Sewa Bharti Niyam. 1967.
8.	Madhya Pradesh Adhinastha Sahakari (lipik vargiy) Sewa Bharti Niyam. 1966.
9.	Madhya Pradesh Sahakarita Vibhag Chaturth Shreni Sewa Bharti Niyam. 1967.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
C. H. BEHAR, Additional Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.